

का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, पुर को /-(पाँच सौ रूपये) रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस या मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही रगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा भीलवाड़ा भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा भीलवाड़ा भीलवाड़ा

